निगरानी / एल.आर. / 4011 / 2006 / दौसा

गोरधन (मृतक) पुत्र गोपाल
जरिये विधिक उत्तराधिकारी :- बनाम श्रीमती ममता आदि

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-2-2018	**एकल-पीठ** **श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य** **उपस्थिति :-** **श्री वी.पी. नागर, अभिभाषक प्रार्थी** **श्री उमेश गौड, अभिभाषक अप्रार्थी** **निर्णय** यह निगरानी अन्तर्गत धारा-84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 2-6-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या-23/06 शीर्षक ममता बनाम गोरधन में रेस्पोन्डेन्ट / वर्तमान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-32 नियम-3 सी.पी.सी. को निर्णित किया है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष अपीलान्ट / वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 ने एक अपील संख्या-23/06 शीर्षक ममता बनाम गोरधन आदि, उप तहसीलदार लवान द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या-279 दिनांक 20-3-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील के रेस्पोन्डेन्ट संख्या-9 व 10 वरवक्त प्रस्तुत करने अपील नाबालिग थे। इसलिये दोनों नाबालिगों के लिये वाद मित्र उनकी माता धापा को नियुक्त कर अपील प्रस्तुत की गयी। अपील के जैरकार रहते रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 8-5-2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद मित्र धापा देवी गरीब होने के कारण पैरवी करने नहीं आ रही है। इसलिये अपील में अन्य किसी को वाद मित्र नियुक्त किया जावे। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 2-6-2006 के द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या-9 व 10 की माता धापा को वाद मित्र नियुक्त कर तलब करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।	

निगरानी / एल.आर. / 4011 / 2006 / दौसा

गोरधन (मृतक) पुत्र गोपाल
जरिये विधिक उत्तराधिकारी :- बनाम श्रीमती ममता आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट / वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 ने वरवक्त प्रस्तुत करने अपील, अपील के रेस्पोन्डेन्ट संख्या-9 व 10 जो नाबालिग थे, हेतु वाद मित्र उनकी माता धापा को नियुक्त करते हुये अपील प्रस्तुत की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुये विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने यह निर्णय पारित किया कि नाबालिग की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी माता धापा को वाद मित्र नियुक्त किया जाता है तथा वाद मित्र को तलब करने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये। नोटिस जारी होने से पूर्व ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 / प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। यह निगरानी Pre-mature stage प्रस्तुत कर दी गयी है, जो किसी भी प्रकार से संधारण योग्य नहीं है। यह निगरानी वर्ष 2006 में लगभग 12 वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गयी थी। इस अवधि में प्रतिवादी संख्या-9 व 10 भी बालिग हो चुके होंगे। न्यायहित में विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा को आदेश दिया जाता है कि आदेश-32 नियम-3(4-A) सी.पी.सी. के तहत रेस्पोन्डेन्ट संख्या-9 व 10 को नोटिस जारी कर उनकी उम्र की जांच कर यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करें। उपरोक्त निष्कर्षानुसार यह निगरानी निर्णित की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विजय कुमार सोनी)** **सदस्य**	

निगरानी / एल.आर. / 4011 / 2006 / दौसा

गोरधन (मृतक) पुत्र गोपाल
जरिये विधिक उत्तराधिकारी :- बनाम श्रीमती ममता आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए